

अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अगिलेख संख्या-98/16-17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (आरखण्ड में अंगीकृत) धारा-4 (H) के अन्तर्गत)

देश की
तेथि

पदाधिकारी का आदेश

अभ्युक्ति

इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, आरखंड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निवधन एवं भूमि सुधार विभाग, आरखंड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता के संसूचित आदेश झापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनावादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जांच संदर्भित प्राप्त निर्देश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा-नंदनपाड़ा, थाना संख्या'-243 खाता संख्या-44 दाग संख्या-290 कुल रकवा-05 बीघा 11 कटठा 06 धूर भूमि विगत सर्वे खतियाना में किस्म-पोखर है एवं मौजा-नंदनपाड़ा के राजस्व पंजी-II में गोपाल चन्द्र राय, शम्भू राय के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम है एवं लोकहित एवं सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एवं सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है।

इस कार्यालय के पत्रांक 510/रा0 दिनांक 13.07.2016 से निर्गत नोटिश, जो अगिलेखबद्ध है, के प्रत्युत्तर में कोई भी वैध राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत कायम की गई है।

अतः मौजा-नंदनपाड़ा थाना संख्या'-243 खाता संख्या-44 दाग संख्या-290 कुल रकवा-05 बीघा 11 कटठा 06 धूर भूमि विगत सर्वे खतियाना में किस्म-पोखर का विपक्षी सह पंजी II रयत गोपाल चन्द्र राय, शम्भू राय, ग्राम नंदनपाड़ा के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के राजस्व पंजी-II में कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। अगिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को भेजें।

अंचल अधिकारी
महेशपुर

अंचल अधिकारी
महेशपुर